**दिनांक 17.11.11 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी मामलों के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति के बैठक की कार्यवाही :-**

- **उपस्थिति :-**
  1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्रीमती रंजू देवी, जिला परिषद् अध्यक्षा, मुंगेर।
  3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर।
  4. श्री पूंडा टुडू, कनीय अभियंता, पावरग्रीड कॉरपोरेशन, मुंगेर।
- **अनुपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्य :-**
  1. जिले के माननीय सांसद/विधायक/पार्षद
  2. पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
  3. उप विकास आयुक्त, मुंगेर।

**कार्यावली सं0 01 :-**

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 166 की उपधारा 5 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में विद्युत संबंधी मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु उर्जा विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0- प्र0-2/विद्युत धारा-4/2003-11, दिनांक 06.07.2004 जो सरकार के सचिव द्वारा प्रेषित है एवं विभागीय पत्रांक 2148, दिनांक 09.05.2007 के आलोक में जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष हैं एव पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्षा, जिले के सभी सांसद/विधायक एवं पार्षद सदस्य हैं तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सदस्य सचिव हैं।

बैठक से संबंधित उर्जा विभाग की अधिसूचना सं0 11, दिनांक 06.07.04 एवं विभागीय पत्रांक 2148, दिनांक 09.05.2007 की छायाप्रति एनेक्सर-A एवं एनेक्सर-B पर संलग्न है।

विभागीय पत्रांक 2148, दिनांक 09.05.07 द्वारा उक्त समिति को निम्नांकित कार्य संपादित करने का निदेश प्राप्त है :-

1. **प्रत्येक जिला में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय एवं समीक्षा करना।**
2. **उपभोक्ता की संतुष्टि एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करना।**
3. **उर्जा की दक्षता एवं उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करना।**

**कार्यावली सं0 02 :-**

बैठक हेतु उपस्थापित संचिका की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इसके पूर्व यह बैठक दिनांक 23.10.2008 को आयोजित हुई एवं इसके उपरान्त किसी बैठक के आयोजन की कोई सूचना अथवा कार्यवाही उपलब्ध नहीं है।

पूर्व में दिनांक 23.10.2008 को आयोजित बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन भी अप्राप्त है। अतः निदेश दिया गया कि उक्त बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर कार्य0 अभि0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे जिसपर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

**कार्यावली सं0 03:-**

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि सफियाबाद ग्रीड में मात्र 35 MVA विद्युत की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में जिले को मात्र 17 MVA प्रतिदिन 20 घंटे ही आपूर्ति की जा रही है। साथ ही बताया गया कि लखीसराय से 103000 Volt की बिजली सफियाबाद ग्रीड को आता है तथा सफियाबाद ग्रीड में 50 MVA का विद्युत ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, किन्तु विद्युत आवंटन उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है।

निदेश दिया गया कि विद्युत की आपूर्ति में सुधार हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना से आवंटन में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया जाय।

ध्यातव्य हो कि इस वर्ष माह मार्च से मई तक विद्युत आपूर्ति की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जिला मुख्यालय में भी बिजली मात्र 2-3 घंटे से अधिक नहीं रहती थी जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो गयी थी। यदि आवंटन में बढ़ोतरी तथा वितरण में सुधार परिलक्षित नहीं होता है तो अगले वर्ष में इस प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता है।